दिनांक 26.12.2013 को निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ0प्र0 की अध्यक्षता में सूडा/डूडा के माध्यम से संचालित योजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

1. योजनाओं की समीक्षा के पूर्व यह अवगत कराया गया कि जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 में प्रतिनियुक्ति एवं संविदा पर अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है। कई जनपदों द्वारा अवगत कराया गया कि एक–एक लेखाकार से एक से अधिक जनपदों का लेखा का कार्य कराया जा रहा है जिससे कार्य प्रभावित होता है। सूडा–अधिकष्ठान को निर्देशित किया गया है कि जनपदों में कितने लेखाकार तथा एक लेखाकार कितने जनपदों के लेखा का कार्य कर रहा है, अवर अभियन्ता कितने नियुक्त हैं तथा एक अवर अभियन्ता कितने जनपदों का कार्य कर रहा है साथ ही परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी का विवरण तत्काल प्रस्तुत किया जाये।

(कार्यवाही–सूडा)

2. आसरा योजना

- शहारी क्षेत्रों में अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा नगरीय मलिन बस्तियों में शहरी गरीबों के आवासीय तंगी के समाधान हेतु प्रारम्भ की गयी आसरा योजना की जनपदवार समीक्षा की गयी।
- कार्यदायी संस्था के उपस्थित अधिकारी के श्री पुरवार द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद बुलन्दशहर के नगर पालिका परिषद अनूपशहर में उपलब्ध करायी गयी जमीन खार की थी इस कारण डी0पी0आर0 नहीं बनाई जा पा रही है। परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त जमीन के स्थान पर लगभग 18 बीघा बंजर जमीन नगर निकाय द्वारा बोर्ड से प्रस्ताव पास करा लिया गया है जिसे कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जा रहा है, निर्देश दिये गये कि दो दिन के अन्दर समस्त कार्यवाही पूर्ण की जाये।
- जनपद सोनभद्र में अवगत कराया गया कि पूर्व में उपलब्ध करायी गयी जमीन सीमेन्ट फैक्टरी की जमीन थी उसके स्थान पर जनपद द्वारा दूसरी जमीन उपलब्ध करा दी गयी है। कार्यदायी संस्था को निर्देश दिये गये हैं कि दिनांक 30.12.2013 तक डी0पी0आर0 उपलब्ध करा दी जाये।
- जनपद गोरखपुर द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था से डी0पी0आर0 प्राप्त हो चुकी है। जिलाधिकारी से हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत है, चूंकि जिलाधिकारी अवकाश पर हैं अतः उनके आने पर शीघ्र ही प्रेषित कर दी जायेगी, निर्देशित किया गया कि प्रभारी जिलाधिकारी से हस्ताक्षर कराकर दो दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।
- जनपद गाजीपुर द्वारा अवगत कराया गया कि उपलब्ध जमीन नॉन जेड0ए0 की है, शासन से अनुमति मांगी गयी है। निर्देशित किया गया कि डी0जी0सी0 राजस्व से वार्ता कर प्रकरण को सुलझायें तथा शीघ्र ही डी0पी0आर0 उपलब्ध कराना सुनिश्चित् किया जाये।
- जनपद झांसी द्वारा अवगत कराया गया है कि पांच निकायों की डी0पी0आर0 कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है जोकि जिलाधिकारी से हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत है। निर्देश दिये गये कि तीन दिन में हस्ताक्षर कराकर डी0पी0आर0 भेजना सुनिश्चित् किया जाये।

- जनपद ललितपुर की दो डी0पी0आर0 के संबंध में डूडा के सहायक परियोजना अधिकारी द्वारा अगवत कराया है कि 23 दिन से अधिशासी अभियन्ता, तकनीकी जांच के लिए लम्बित किये हुये हैं। निर्देश दिये गये कि जिलाधिकारी के संज्ञान में लायें तथा 23 दिन के विलम्ब के लिए अधिशसी अभियन्ता का दायित्व निर्धारित करने हेतु पत्रावली जिलाधिकारी को तत्काल प्रस्तुत की जाये एवं प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के अन्दर डी0पी0आर0 उपलब्ध कराना सुनिश्चित् किया जाये।
- जनपद अलीगढ़ के निकाय छर्रा एवं कौड़ियागंज की डी0पी0आर0 कार्यदायी संस्था द्वारा डूडा को उपलब्ध करा दी गयी है। डूडा द्वारा अगवत कराया गया कि तीन दिन में समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराकर डी0पी0आर0 उपलब्ध करा दी जायेगी।
- जनपद आगरा के निकाय अछनैरा की डी0पी0आर0 के संबंध में परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि डी0पी0आर0 दो दिन के अन्दर उपलब्ध करा दी जायेगी।
- जनपद बरेली के निकाय बरेली की डी0पी0आर0 के संबंध में परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि डी0पी0आर0 दो दिन के अन्दर उपलब्ध करा दी जायेगी।
- जनपद जालौन की दो डी0पी0आर0 तैयार हैं जिसे संबंधित अधिकारी द्वारा अगवत कराया गया कि दो दिन में उपलब्ध करा दी जायेगी। इसी प्रकार जनपद महराजगंज की दो, जनपद औरैया की दो डी0पी0आर0 तीन दिन में उपलब्ध कराने तथा जनपद पीलीभीत की एक सप्ताह में, जनपद संत कबीर नगर की चार तीन, जनपद बस्ती की तीन दिन में उपलब्ध करा दी जायेगी।
- जनपद चन्दौली, सहारनपुर, देवरिया एवं हापुड़ की डी0पी0आर0 उपस्थित कार्यदायी संस्था के अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में डूडा को उपलब्ध कराये जाने का आश्वासन दिया गया। इसी प्रकार कानपुर नगर निगम की पन्द्रह दिन में समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर उपलब्ध कराये जाने का आश्वासन दिया गया।
- जनपद बहराइच के परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि नगर पंचायत जरवल में उपलब्ध जमीन शहरी क्षेत्र से लगभग लगी हुई है एवं निर्देश चाहे गये। परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि शहरी क्षेत्र को बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये।
- जनपद आगरा के निकाय नराईच, जनपद बाराबंकी के निकाय सुबेहा, जनपद अलीगढ़ के निकाय ईगलास, हरदुआगंज, जनपद उन्नाव के निकाय मोहान, मौरांवा एवं बीघापुर की जमीन कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी गयी है किन्तु संबंधित जनपदों द्वारा अगवत कराया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा अभी तक डी0पी0आर0 डूडा को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। सी0 एण्ड डी0एस0 को निर्देशित किया गया कि तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित् कराते हुए डी0पी0आर0 एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित् किया जाये।
- जनपद इलाहाबाद, हमीरपुर, अमरोहा, मथुरा, हापुड़, रायबरेली, जौनपुर, बलिया, चित्रकूट, महोबा, प्रतापगढ़, हाथरस, अम्बेडकर नगर, सुल्तानुपर, सिद्धार्थनगर, शामली, मुजफ्फरनगर, अमेठी, फर्रूखाबाद, एटा, सम्भल, शाहजहांपुर, भदोही एवं गाजीपुर द्वारा अवगत कराया गया कि उनके जनपद के किसी भी निकाय में निःशुल्क भूमि उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में निर्देशित किया गया कि

स्थानीय निकाय जिनके द्वारा भूमि उपलब्ध न होने का प्रमाण पत्र दिया गया, जहां पर आवासों की आवश्यकता नहीं है उसका प्रमाण पत्र तथा खतौनियों का सत्यापन के प्रपत्र प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित् किया जाये।

(कार्यवाही–समस्त डूडा–उ0प्र0)

- सी0 एण्ड डी0एस0 के उपस्थित अधिकारी को निर्देशित किया गया कि जितनी परियोजना स्वीकृत हो गयी हैं उसकी प्रगति एवं पर्ट चार्ट बनाकर कर प्रस्तुत किया जाये।

(कार्यवाही–सी0 एण्ड डी0एस0)

3. <u>राजीव आवास योजना</u>

- समीक्षा के अंतर्गत अवगत कराया गया कि जनपद रामपुर एवं रायबरेली में कार्य प्रारम्भ करने से पहले कार्यदायी संस्था एवं डूडा के मध्य की गयी एम0ओ0ए0 की प्रतिलिपि वर्क प्लान सहित उपलब्ध करायी जानी थी। जनपद रामपुर तथा रायबरेली द्वारा दिनांक 27.12.2013 तक उपलब्ध कराये जाने का आश्वासन दिया गया।
- योजना के अंतर्गत तैयार किये जा रहे स्लम फ्री सिटी प्लान ऑफ एक्शन हेतु प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर रही संस्था द्वारा मांगी गयी सूचनायें जनपद मुरादाबाद, बरेली, मुजफ्फरनगर, मथुरा, रामपुर एवं रायबरेली डूडा द्वारा सूडा को अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है। समस्त को निर्देशित किया गया कि उक्त वांछित सूचना दिनांक 30.12.2013 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित् किया जाये।
- राजीव आवास योजना के जारी नवीन दिशानिर्देश के अनुसार योजना का लाभ प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त शहरी निकायों में दिया जाना अनुमन्य कर दिया गया है। समस्त जनपदों से निकायवार मौजूदा स्लम (नोटिफाइड/नॉन नोटिफाइड) की सूची जनपद बागपत, अमरोहा, चित्रकूट, सोनभद्र, एटा, बांदा, महोबा, संत कबीर नगर, बलरामपुर, मैनपुरी, हाथरस एवं मेरठ से प्राप्त हो चुकी है, शेष जनपदों से अभी तक सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है। समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में 28.12.2013 तक सूचना सूडा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् किया जाये।

(कार्यवाही–समस्त संबंधित डूडा–उ0प्र0)

4. <u>आई0एल0सी0एस0</u>

- योजना की समीक्षा में संज्ञान में लाया गया कि शासनादेश के अनुसार 53 जनपदों में निर्मित किये गये शौचालयों का सत्यापन कराया जाना था जिसमें से जनपद कासगंज से सत्यापन अप्राप्त तथा जनपद बरेली की आंशिक सूचना प्राप्त है। निर्देशित किया गया कि तीन दिन के अन्दर सूचना उपलब्ध करायी जाये।
- सत्यापन में जिन जनपदों के निकायों में अनिर्मित व अपूर्ण शौचालय पाये गये है, इस संबंध में निर्देशित किया गया है कि संबंधित कार्यदायी संस्था क विरूद्ध तत्काल आर0सी0 जारी कर वसूली करायी जाये। यह समस्त कार्यवाही एक सप्ताह के अन्दर सुनिश्चित् होनी चाहिए।

(कार्यवाही–समस्त संबंधित डूडा–उ0प्र0)

5. स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना

- स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के विभिन्न उपघटकों की समीक्षा की गयी। **प्रशिक्षिण कार्यक्रम (स्टेप–अप)** की समीक्षा में अवगत कराया गया जनपद अमरोहा, औरैया, बागपत, बलिया, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, इटावा, फर्रूखाबाद, गाजीपुर, हापुड़, हाथरस, जौनपुर, कानुपर देहात, कुशीनगर, लखनऊ, महाराजगंज, मथुरा, मऊ, मेरठ, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रामपुर, शामली, सिद्धार्थनगर, सीतापुर एवं श्रावस्ती कुल 28 जनपदों से कार्यक्रम प्रारम्भ होने की सूचना शून्य है। संबंधित जनपदों द्वारा अवगत कराया गया कि वे प्रत्येक दशा में माह दिसम्बर, 2013 के अन्दर की प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ कर देगें। निर्देश दिये जिन जनपदों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम अभी प्रारम्भ नहीं किया वे तत्काल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ करना सुनिश्चित् करें। साथ ही उक्त के साथ–साथ सभी जनपद अभिकरण मुख्यालय द्वारा प्रेषित प्रारूप पर एक सप्ताह के अन्दर सूचना प्रेषित करना सुनिश्चित् की जाये साथ ही प्रत्येक माह भी उक्त सूचना प्रारूप पर प्रेषित की जाये।
- जनपद श्रावस्ती द्वारा अवगत कराया गया कि सूडा के तैनात परियोजना अधिकारी श्री सुरेन्द्र नाथ विगत कई माह से कार्यालय नहीं आ रहे है जिसके कारण कार्य प्रभावित है। उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि एक सप्ताह में प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया जायेगा। निर्देशित किया गया कि श्री सुरेन्द्र नाथ को अनुपस्थित व कार्य न करने के कारण इनको वेतन न दिया जाये तथा इस संबंध में तत्काल आख्या सूडा को उपलब्ध करायी जाये।
- **यू0एस0ई0पी0** के अंतर्गत जनपदों को निर्देशित किया गया कि उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाये। यह भी निर्देशित किया गया कि पात्र व्यक्तियों के आवेदन पत्र स्वीकृत हो जाने पर जो अनुदान बैंको को प्रेषित किया जाता है उनके वितरण के उपरान्त ही इसके उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाये। कतिपय जनपदों द्वारा बैंकों द्वारा सहयोग न किये जाने उल्लेख किया गया। निर्देशित किया गया कि ऐसे बैंकों का चिन्हिकरण करें तथा जिला स्तर पर डी0एल0आर0सी0 की होने वाली बैठक व जनपदीय बैठकों में इसका उल्लेख किया जाये तथा ऐसे बैंकों का नाम कार्यवृत्त में डाला जाये ताकि संबंधित बैंकों के संबंध में उच्च स्तर को अवगत कराते हुए समस्या का समाधान कराया जा सके।
- **यू0डब्ल्यू0ई0पी0** के अंतर्गत विभिन्न जनपदों में रू0 1086.40 लाख की धनराशि अवशेष है जिस पर असंतोष व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया कि पूर्व वित्तीय वर्ष में अवमुक्त धनराशि का तत्काल नियमानुसार उपभोग सुनिश्चित् किया जाये साथ ही कार्यों में उच्च गुणवत्ता भी सुनिश्चित् की जाये तथा गुणवत्ता के संबंध में समस्त जारी कार्यों का प्रमाण पत्र प्रत्येक स्तर से लिया जाये।
- **यू0सी0डी0एन, यू0डब्ल्यू0एस0पी0 (रिवाल्विंग फण्ड), यू0डब्ल्यू0एस0पी0 (ऋण एवं अनुदान)** के अंतर्गत जनपदों में उपलब्ध धनराशि को तत्काल दिशानिर्देशों के अनुरूप व्यय सुनिश्चित् कराते हुए इसके उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण मुख्यालय को उपलब कराया जाना सुनिश्चित् किया जाये।
- **समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया कि एम0पी0आर0 प्रत्येक दशा में ई–मेल के माध्यम से प्रत्येक माह की 5 तरीख तक सूडा को उपलब्ध करायी जाये।**

(कार्यवाही–समस्त डूडा–उ0प्र0)

6. बी0एस0यू0पी

- योजना के अंतर्गत मूल्य वृद्धि के संबंध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में विगत 24.07.2013 को लिये गये निर्णय के अनुपालन में मूल्य वृद्धि की पुनरीक्षित व अभ्यर्पण की डी0पी0आर0 नियमानुसार कार्यदायी संस्थाओं से तैयार कराकर सूडा को उपलब्ध कराने के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गयी तथा निम्नवत् निर्देश दिये गये –
- जनपद आगरा, इलाहाबाद, कानपुर नगर, मथुरा, वाराणसी एवं लखनऊ द्वार दिनांक 30.12.203 तक पुनरीक्षित एवं अभ्यर्पण की डी0पी0आर0 उपलब्ध करायी जाये।
- जनपद मुथुरा के परियोजना अधिकारी द्वारा डी0पी0आर0 के संबंध में अवगत कराया गया कि कन्सलटेन्ट जो डी0पी0आर0 बना रहे हैं उनके पास अन्य योजना के काफी अधिक कार्य होने के दृष्टिगत कठिनाई आ रही है। सूडा को निर्देशित किया गया कि कन्सलटेन्ट से वार्ता कर उन्हें अवगत कराय जाये कि परियोजना अधिकारी द्वारा कन्सलटेन्ट से कितनी बार सम्पर्क किया गया, पुनरीक्षित/अभ्यर्पण की डी0पी0आर0 बनाने में क्या कठिनाई है? डी0पी0आर0 अब तक क्यों नहीं बनाया, क्या बनाना नहीं चाहते है? परियोजना अधिकारी को 30.11.2013 से 25.12.2013 तक की कार्यवाही का तिथिवार ब्यौरा प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही–समस्त संबंधित डूडा–उ0प्र0)

7. आई0एच0एस0डी0पी0

- योजना के अंतर्गत मूल्य वृद्धि के संबंध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में विगत 24.07.2013 को लिये गये निर्णय के अनुपालन में मूल्य वृद्धि की पुनरीक्षित व अभ्यर्पण की डी0पी0आर0 नियमानुसार कार्यदायी संस्थाओं से तैयार कराकर सूडा को उपलब्ध कराने के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गयी तथा निम्नवत् निर्देश दिये गये –
- जनपद औरैया, बागपत, चन्दौली, देवरिया, फैजाबाद, फर्रूखाबाद, गौतमबुद्धनगर, गाजीपुर, हरदोई, महराजगंज, मेरठ, मिर्जापुर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, आजमगढ़, बदायूं, बलिया, अलीगढ़, बलरामपुर, बहराइच, चित्रकूट, हमीरपुर, कन्नौज, मथुरा, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, सहारनपुर, संत कबीर नगर एवं उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 30.12.2013 तक अभ्यर्पण/पुनरीक्षित डी0पी0आर0 सूडा को उपलब्ध करा दी जायेगी। निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में उक्त तिथि तक डी0पी0आर0 उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित् किया जाये।
- जनपद रायबरेली द्वारा 02.01.2014 तक, जनपद गोरखपुर तथा जनपद कुशीनगर के पडरौना द्वारा 05.01.2014 तक डी0पी0आर0 उपलब्ध कराये जाने आश्वासन दिया गया है।
- जनपद महोबा द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 24.12.2013 को डी0पी0आर0 सूडा में उपलब्ध करा दी गयी है। जनपद मैनपुरी द्वारा दिनांक 26.12.2013 को डी0पी0आर0 सूडा में उपलब्ध करा दी गयी है। जनपद मुरादाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि 20.12.2013 को कोरियर के द्वारा डी0पी0आर0 सूडा को प्रेषित की गयी है, जो अभी तक अप्राप्त है। निर्देश दिये गये कि परियोजना अधिकारी स्थिति से जिलाधिकारी को अवगत करायें साथ ही ऐसे कोरियर को जनपद में कार्य न दिया जाये तथा विलम्ब के लिए पेनाल्टी भी लगायी जाये।

- परियोजना अधिकारी कुशीनगर द्वारा अवगत कराया गया कि मालवीय नगर एवं अम्बेडकर नगर की परियोजना में मूल्य वृद्धि की आवश्यकता नहीं है। निर्देशित किया गया कि इस संबंध में तत्काल लिखित रूप से सूचित करें।
- परियोजना अधिकारी अमेठी द्वारा अवगत कराया गया कि मुसाफिरखाना परियोजनान्तर्गत निर्माण कार्य गुणवत्तापरक न होने एवं अनियमितताओं के दृष्टिगत एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी है। निर्देशित किया गया कि आर0सी0 जारी कर धनराशि की वसूली की जाये साथ ही मा0 न्यायालय में कैवियट भी दाखिल किया जाये।
- परियोजना अधिकारी गौतमबुद्ध नगर द्वारा अगवत कराया कि दादरी परियोजना में एफ0आई0आर0 है जिस पर निर्देश दिये गये कि गबन की गयी धनराशि का आकलन कर आर0सी0 जारी कर धनराशि की वसूली की जाये। अन्य परियोजनाओं की अभ्यर्पण/पुनरीक्षित डी0पी0आर0 30.12.2013 को उपलब्ध करायी जाये।
- परियोजना अधिकारी लखीमपुर खीरी द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था को अभ्यर्पण/पुनरीक्षित डी0पी0आर0 उपलब्ध कराये जाने के संबंध में कई पत्र प्रेषित किये गये परन्तु अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है। इस संबंध में निर्देश दिये गये कि जिलाधिकारी के संज्ञान में लाते हुए तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित् की जाये साथ ही सूडा द्वारा भी कार्यदायी संस्था से सम्पर्क कर कार्यवाही सुनिश्चत् करायें।
- **बी0एस0यू0पी0 एवं आई0एच0एस0डी0पी0 के संबंधित जनपदों को निर्देश दिये गये कि योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित 50 कॉलम के प्रारूप पर एम0पी0आर0 प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध करायी जाये साथ ही दिनांक 05.01.2014 को सूचना न आने पर सूडा द्वारा दिनांक 06.01.2014 को अवगत कराया जाये।**

(कार्यवाही–समस्त संबंधित डूडा–उ0प्र0)

8. <u>एस0सी0एस0पी0 योजना</u>

- योजना के अंतर्गत 75 जनपदों के सापेक्ष 74 जनपदों से प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं। मात्र जनपद भदोही से कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है। इस संबंध में जनपद भदोही से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देशित किया गया है।

(कार्यवाही– संबंधित डूडा–भदोही)

9. <u>शहरी क्षेत्र की मलिन बस्तियों तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में मूलभूत सुविधायें</u>

- योजना के अंतर्गत उपलब्ध बजट के सापेक्ष प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जा चुके हैं। निर्देशित किया गया कि 630 नगर निकायों के सापेक्ष किन–किन निकायों का प्रस्ताव नहीं आया, का विवरण प्रस्तुत किया जाये। समस्त परियोजना अधिकारी परीक्षण कर लें कि कितने मलिन बस्तियां छूट गयी है तथा कितनी अल्पसख्यंक बाहुल्य बस्तियों का प्रस्ताव नहीं आया है, का विवरण एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायें।
- यह भी निर्देशित किया गया कि समस्त निर्माण कार्यों में फाइनैनशियल हैण्डबुक के अनुसार टेण्डरिंग व कोटेशन कराकर ही कार्य कराया जाना सुनिश्चित् किया जाये।

(कार्यवाही–समस्त डूडा–उ0प्र0)

10. रिक्शा योजना

- योजना के अंतर्गत निर्देशित किया गया कि निर्गत शासनादेश के अनुसार जनपदों में पात्र व्यक्तियों के रिक्शे पंजीकृत कराते हुए इसकी सूची सूडा को शीघ्र अति शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित् किया जाये।
- जिन जनपदों में ट्रायल पर रिक्शे चल रहे हैं उनका पूर्ण विवरण सूडा को तत्काल उपलब्ध कराया जाना भी सुनिश्चित् किया जाये।

(कार्यवाही–समस्त डूडा–उ0प्र0)

11. उपयोगिता प्रमाण पत्र

- **कांशीराम जी शहरी दलित समग्र विकास योजना** के अंतर्गत वर्ष 2011–12 में जनपदों को धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी यह योजना गत वित्तीय वर्ष में समाप्त कर दी गयी एवं जिन जनपदों पर धनराशि अवशेष रही को तत्काल वापस करने तथा उपयोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करने को समय–समय निर्देशित किया गया। इस संबंध में जनपद आगरा, अलीगढ़, आजगढ़, बागपत, बलिया, बाराबंकी, बरेली, देवरिया, फर्रूखाबाद, हमीरपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कुशीनगर, लखनऊ, मैनपुरी, मेरठ, रामपुर, शाहजहांपुर, सोनभद्र एवं वाराणसी में रू0 1336.16 लाख की धनराशि/उपयोगिता प्रमाण पत्र अवशेष है। इस संबंध में संबंधित जनपदों को निर्देशित किया गया कि दस दिन के अन्दर उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अवशेष धनराशि अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् किया जाये।

(कार्यवाही–समस्त संबंधित डूडा–उ0प्र0)

- **स्लम सर्वे** मद में जनपदों को धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी। इस मद में जनपद अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, औरैया, आजमगढ़, बदायूं, बागपत, बलिया, बांदा, बरेली, बहराइच, चित्रकूट, एटा, इटावा, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजीपुर, गोण्डा, गोरखपुर, हमीरपुर, जालौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कासगंज, कुशीनगर, ललितपुर, महोबा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, सीतापुर, सोनभद्र, श्रावस्ती, सुल्तानपुर एवं वाराणसी कुल 43 जनपदों में रू0 109.08 लाख की धनराशि/यू0सी0 अवशेष है। निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर यू0सी0/अवशेष धनराशि उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित् किया जाये।

(कार्यवाही–समस्त संबंधित डूडा–उ0प्र0)

- **एस0सी0एस0पी0 योजना** के अंतर्गत वर्ष 2011–12 तक उपलब्ध करायी गयी धनराशि के सापेक्ष जनपद आगरा, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, बागपत, बलिया, बस्ती, चन्दौली, एटा, इटावा, फैजबाद, गोण्डा, हाथरस, कानपुर देहता, कुशीनगर, महोबा, मथुरा, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रायबरेली, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानुपर, वाराणसी, अलीगढ़, गाजियाबाद, चित्रकूट, जौनपुर, जालौन एवं प्रतापगढ़ कुल 31 जनपदों से रू0 1818.09 लाख की धनराशि के उपयोगिता प्रमाण अवशेष है। संबंधित जनपदों को निर्देशित किया गया कि तत्काल उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करें अन्यथा एक सप्ताह के अन्दर धनराशि वापस करें।

(कार्यवाही–समस्त संबंधित डूडा–उ0प्र0)

- **स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना** के विभिन्न उपघटकों में जनपदों में कुल रू0 10690.28 लाख अवशेष है। समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया कि योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार तत्काल नियमानुसार धनराशि का उपयोग सुनिश्चित् कराते हुए इसके उपयोगिता प्रमाण पत्र सूडा को उपलब्ध कराना सुनिश्चत् किया जाये अन्यथा उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

(कार्यवाही–समस्त संबंधित डूडा–उ0प्र0)

12. <u>बैलेन्स शीट</u>

- वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 की बैलेन्स शीट जनपद फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, कानपुर देहात, इटावा, फर्रूखाबाद, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, झांसी, बांदा, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, रामपुर, बलिया, मऊ, सिद्धार्थ नगर, हाथरस, गोण्डा, बहराइच, श्रावस्ती, मुजफ्फरनगर हेतु नामित सनदीलेखाकारों द्वारा बैलेन्स शीट तैयार कर उसकी एक प्रति सूडा को उपलब्ध करा दी है परन्तु उक्त जनपदों द्वारा जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा के हस्ताक्षर कराकर प्रति सूडा को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। सभी संबंधित जनपदों को निर्देशित किया गया कि जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा से हस्ताक्षर कराकर एक सप्ताह के अन्दर सूडा मे उपलब्ध कराना सुनिश्चित् किया जाये।

(कार्यवाही–समस्त संबंधित डूडा–उ0प्र0)

13. <u>डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स</u>

- समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया है कि जनपद में कराये गये कार्यों की डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स तैयार किया जाये जिसमें योजना का नाम, कार्य का विवरण, कार्य पूर्ण होने की तिथि, हस्तगत करने की तिथि आदि का सम्पूर्ण विवरण का उल्लेख करते हुए एक प्रति सूडा को उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही–समस्त डूडा–उ0प्र0)

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उत्तर प्रदेश

पत्रांक– 3051/110/तीन/97 vol - VI **दिनांक–** 10/01/14

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
2. निदेशक, सी एण्ड डी0एस0, जल निगम, उ0प्र0।
3. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
4. सूडा के समस्त अधिकारियो को अनुपालनार्थ।

निदेशक
राज्य नगरीय विकास अभिकरण